क्रम-संख्या-327

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 नवम्बर, 2007

कार्तिक 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2383/79–वि–1–07-1(क)28-2007
लखनऊ, 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

## उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग अधिनियम, 1995 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :–

"(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) अध्यक्ष;

(ख) दो उपाध्यक्ष;

(ग) सत्रह अन्य सदस्य।"

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5, में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त धारण करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2007)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995) की धारा 4 और 5 में क्रमशः उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में प्राविधान है। आयोग के कामकाज को और अधिक गति देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धाराओं को संशोधित करके उपाध्यक्ष के पद की संख्या एक से बढ़ाकर दो करने, सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर सत्रह करने और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने की व्यवस्था की जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात् यह भी विनिश्चय किया गया कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के सम्बन्ध में जाति और लिंग के प्रतिबन्धों को निकाल दिया जाय।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तर सहित प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2383/LXXIX-V-1—07-1(Ka)28-2007
*Dated Lucknow, November* 21, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusuchit Jati Aur Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 41 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 2007.

# THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 41 OF 2007]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 4 of U.P Act no. 16 of 1995

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) The Commission shall consist of the following members appointed by the State Government:–

*(a)* a Chairman;

*(b)* two Vice-Chairman;

*(c)* seventeen other members."

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) The Chairman, a Vice-Chairman or every other member shall hold office for a term of one year from the date he assumes office :–

Provided that the Chairman, a Vice-Chairman or every other member shall hold office as such during the pleasure of the State Government :

Provided further that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years :

Provided also that the Chairman shall not be eligible for re-appointment as member."

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 17 of 2007 and U.P. Ordinance no 20 of 2007

4. (1) The Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2007 and the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) (Second) Ordinance, 2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 4 and 5 of the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled tribes Act, 1995 (U.P. Act no. 16 of 1995) provide for composition of the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the terms of office and conditions of service of Members each of respectively. With a view to making the working of the Commission more dynamic it was decide to amend the said sections to provide for increasing the number of office of Vice-Chairman from one to two and the members from four to seventeen and reducing the term of offices of the Chairman, Vice-Chairman and members from three years to one year.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the said decision, the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled ~~Tr~~ Tribes (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 17 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

Thereafter it was decided to omit the restrictions of Caste and Sex with respect to the ~~Chairm~~ Chairman Vice-Chairman and members of the Commission.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

By order,
S.M.A ABIDI,
*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 708 राजपत्र–(हि०)–(1729)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 365 सा० विधायी–(1730)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।